राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 179/2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान–मैसर्स राजस्थान कॉटेज इण्डस्ट्रीज़, आमेर रोड, जयपुर बनाम् वा.क.अ., वृत्त–डी, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **30.01.2014,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–डी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23/24 के तहत् निर्धारण वर्ष **2010–11** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **06.11.2013** में कायम की गयी मांग राशि **रू0 3,06,812/–** के संबंध में निर्धारण अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 33 के तहत् प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार कर, कायम मांग मांग राशि **रू0 3,06,812/–** की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर सुनवायी के दौरान **रू0 1,81,832/–** की बकाया मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री वैभव कासलीवाल रोक आवेदन पत्र पर बहस हेतु दिनांक 13.02.2014 को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि पारित आदेश में रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने संबंधी किसी प्रकार के कारणों को अंकित नहीं किया गया है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सर्राफा डीलर्स व जैम्स एवम् स्टोन डीलर्स के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी शमन योजनायें, 2006, जो क्रमशः जरिये **विज्ञप्ति क्रमांक एफ12(63) एफडी/टैक्स/2005–39 दिनांक 06.05.2006 व एफ12(63) एफडी/टैक्स/2005–37 दिनांक 06.05.2006 प्रकाशित दिनांक 08.05.2006** के अधिसूचित की गयी थी, के अनुसार विकल्प लेकर शमन राशि का भुगतान आलोच्य अवधि में किया गया था तथा इस संबंध में कायम मांग राशियों को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जमा करवा दिया गया था जिसका चालान नहीं मिलने के	

17.02.2014

कारण निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे थे । इस संबंध में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.03.2013 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी । अग्रिम अभिवाक् किया कि इस संबध में दिनांक 17.04.2012 को निर्धारण अधिकारी को दिनांक 30.03.2012 को योजना के तहत् जमा करवायी गयी राशि के चालान भी प्रस्तुत कर दिये थे, अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा योजना के तहत् समस्त प्रशमन राशि समय पर जमा करवायी गयी है । अतः उक्त चालानों के जरिये जमा करवायी गयी राशि को अस्वीकार करने में निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है । अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया राशि **रू0 1,81,832/–** पर रोक लगाने का तर्क दिया गया अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, विशिष्ट रूप से तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा जारी शमन योजनायें, जो **दिनांक 06.05.2006 को अधिसूचित की गयी हैं, के क्लॉज 5.4 के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करना प्रकट है ।** कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) **द्वारा दिनांक 29.03.2012 को अपील संख्या 325/2012/जयपुर, मैसर्स प्रसादम् ज्वैलर्स प्रा.लि., 24–25, खासा कोठी सर्किल, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–बी, जयपुर में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है ।** अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने व के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रत्यर्थी अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।** अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर बकाया मांग राशि रू0 1,81,832/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक रोक इस शर्त के साथ लगाई जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का निस्तारण इस आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि में करना सुनिशिचित करें।

उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

17.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य